UPKN010122082025

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कानपुर नगर।**

पीठासीन अधिकारीः शुचि श्रीवास्तव ..... ID-UP 6109

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**4728 / 2025**

रिशू राजपूत उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र राजेश कुमार, निवासी म0नं0–10 काकोरी कैन्ट, थाना–कैन्ट, कानपुर नगर।

.....आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उ0 प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

..... अभियोजन

मु0अ0सं0–569 / 2025
धारा–191(2),352,115(2),140(1),103(1),238, 54, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(2)5, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचर निवारण) अधि0
थाना–चकेरी, कानपुर नगर।

**1.** प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र आवेदक / अभियुक्त रिशू राजपूत की ओर से मु0अ0सं0 569 / 2025 धारा–191(2), 352, 115(2), 140(1), 103(1), 238, 54, 3(5) भारतीय न्याय संहिताव धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम थाना चकेरी, कानपुर नगर में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

**2.** वादी मुकदमा रवि कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं, किन्तु उनकी ओर से लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

**3.** संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी रवि कुमार द्वारा थाना प्रभारी, चकेरी, कानपुर नगर को इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 29.08.2025 को समय लगभग 11.30 बजे रात 20 लोग मेरे भाई ऋषिकेश उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र राजेश कुमार को जातिसूचक गालियां देते हुए पकड़कर मारने लगे और मेरे भाई को कहीं मारकर फेंक दिया। मेरा भाई नहीं मिल रहा है। कहीं इन लोगों ने मेरे भाई ऋषिकेश को मार तो नहीं डाला है, क्योंकि इनमें से पवन निषाद, नागा निषाद उर्फ प्रेम, वावी निषाद, अरूण निषाद, निखिल, सत्यम इन लोगों को मैं भली भाति जानता हूँ और कई मुकदमे में अभियुक्त भी हैं, जेल जा चुके हैं और अन्य को मैं नहीं पहचानता हूँ। वर्तमान में मेरे भाई का मोबाइल भी बन्द है तथा मेरा भाई भी लापता है।

**4.** आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसको झूठा फॅसाया गया है। अभियुक्त ने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया और न ही किसी की हत्या की है और न ही किसी को

जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। सम्पूर्ण घटना में अभियुक्त का कोई रोल नहीं है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त काफी दिनों से जेल में बन्द है। अभियुक्त जमानत होने के उपरान्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

**5**. विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा जो अनुसचित जाति का सदस्य नहीं है, के द्वारा वादी जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, के भाई ऋषिकेश को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया, उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित की गयी तथा उसके शव को कहीं छिपा दिया गया। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

**6.** जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) व वादी के निजी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

**7.** आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के भाई ऋषिकेश को उसके घर से ले जाकर मारपीटकर उसकी हत्या करने तथा उसके शव को साक्ष्य विलोपन के आशय से छिपाने का आरोप है। वादी की मॉ श्रीमती अनीता देवी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में बताया है कि दिनांक 29.08.2025 को रात काफी हो गयी थी लगभग रात के 12 बजे होगे तभी मेरे लडके ऋषिकेश उर्फ सोना के जानने वाले पडोस में ही रहने वाले निखिल और मोगली उसे बुलाने के लिये घर पर आये थे तो मैने पूछा कि सोना को कहाँ लेकर जा रहे हो इतनी रात में, तो उन्होने बताया कि वहाँ पर पवन और बाबी वहाँ खडे है और उनके साथ मोहल्ले के सत्यम व डैनी व काकोरी के आलू व रिशु खडे है, उनके पास जा रहे है, वह सोना से कुछ बातचीत करना चाह रहे है, इतना कहकर वह लोग सोना को अपने साथ लेकर चले गये उसके बाद मैं और मेरा परिवार रात काफी हो जाने के कारण सो गये और सोचा कि अपने जानने वालो के साथ गया है आ जायेगा। उसके बाद जब हमलोग सुबह जागे तो हम लोगों ने सोना की तलाश किया फिर उसके बाद हम मोगली, निखिल व बबी व पवन के घर गये तो यह लोग घर पर नहीं थे, उसके बाद सत्यम के घर गये सत्यम भी घर पर मौजूद नही मिला, तो मुझे घबराहट होने लगी उसके बाद मेरे बडे लडके रवि ने बताया कि मोहल्ले का आकाश बता रहा था कि इन लोगो ने सोना को मारा पीटा और उसके साथ गाली गलौज की और उसे उठाकर दो मोटर साइकिलो पर सभी लोग बैठकर अपने साथ ले गये है। हो न हो कही मेरे लडके के साथ कोई अनहोनी न हो जाये, क्योंकि बाबी और पवन व इनका परिवार आपराधिक किस्म का परिवार है, ये लोग कई बार जेल भी जा चुके है।

**8.** वादी के पिता राजेश कुमार ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में बताया है कि दिनांक 29.08.2025 को रात लगभग 12 बजे के आस पास बजे होगे उसी समय मेरे लडके ऋषिकेश उर्फ सोना के जानने वाले पडोस में ही रहने वाले निखिल और मोगली उसे बुलाने के लिये घर पर आये थे तो मेरी पत्नी ने पूछा कि सोना को कहाँ लेकर जा रहे हो इतनी रात में तो उन्होने बताया कि वहाँ पर पवन और बाबी वहाँ खड़े है और उनके साथ मोहल्ले के सत्यम व डैनी व काकोरी के आलू व रिशु खडे है, उनके पास जा रहे है. वह सोना से

कुछ बातचीत करना चाह रहे है, इतना कहकर वह लोग सोना को अपने साथ लेकर चले गये। हमने सोचा दोस्तो की बात है बात करके वापस आ जायेगा हम लोग सो गये उसके बाद जब हम लोग सुबह जागे तो हम लोगो ने सोना की तलाश किया फिर उसके बाद हम मोगली, निखिल व बाबी व पवन के घर गये तो यह लोग घर पर नहीं थे। उसके बाद सत्यम के घर गये, सत्यम भी घर पर मौजूद नहीं मिला, तो हमें घबराहट होने लगी उसके बाद मेरे बडे लड़के रवि ने हमसे बताया कि मोहल्ले का आकाश बता रहा था कि इन लोगों ने सोना को मारा पीटा और उसके साथ गाली गलौज की और उसे उठाकर दो मोटर साइकिलों पर सभी लोग बैठकर अपने साथ ले गये है. जिसके बाद मेरे बेटे थाने पर जाकर मुकदमा लिखवाया था, हम अपने स्तर से भी अपने बेटे को खोज रहे थे, तभी थाने से दरोगा जी आये दरोगा जी ने मुझे और मेरे बेटे को बुलाया और अपने साथ लेकर मार्चरी गये जहां पर सर कटी हुयी लाश मुझको दिखाई। मैने लाश देखा तो मेरे बेटे के गुदा टैटू का निशान व हांथ में बंधे कलावे को देखकर मैं अपने बेटे सोना की लाश पहचान गया। इन लोगों ने मेरे बेटे को बड़ी बेरहमी से मारा है।

**9.** मृतक के पंचायतनामा को अवलोकित करने से स्पष्ट है कि मृतक का शव क्षतविक्षत अवस्था में पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। सिर तथा बायां हाथ गायब था, अंगुलियॉ कटी हुयी थीं तथा शरीर के कई हिस्सों में मांस व खाल नहीं थी। अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या कर उसके शव को नदी में फेंक दिया गया तथा मृतक का शव सड़ी गली अवस्था में पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। केस डायरी के पर्चा सं0–5 में वीडियो का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा मृतक को मारते हुए प्रदर्शित किया जाना अंकित है। अपराध हत्या से सम्बन्धित जघन्य है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार नहीं है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त रिशू राजपूत द्वारा अन्तर्गत मु0अ0सं0 569/2025 धारा–191(2), 352, 115(2), 140(1), 103(1), 238, 54, 3(5) भारतीय न्याय संहिताव धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम थाना चकेरी, कानपुर नगर के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदत्त किये जाने हेतु जरिये ई–मेल अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर को भेजी जाए।

**(शुचि श्रीवास्तव)**
(ID-UP 6109)
विशेष न्यायाधीश,अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कानपुर नगर।

दिनांकः25.11.2025

Digitally signed by Shuchi Srivastava
Date: 2025.11.25 16:20:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court